

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आईटी भवन, योजना भवन परिसर, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक F3(31)कम्प्यू/Actt/Part II / 00311/2022

जयपुर, दिनांक:- 19/01/2022

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु आर जी एच एस के विकल्प पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के आदेश **F1(240)RGHS/21-22/820** दिनांक 11.01.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिक जो **RGHS** योजना का लाभ लेना चाहते हैं, द्वारा आवश्यक रूप से **RGHS** का विकल्प पत्र भरकर एवं माह जुलाई 2021 से आवश्यक रूप से अंशदान कटौती करवाई जानी आवश्यक है, फरवरी 2022 के पश्चात अंशदान कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। समस्त कार्मिकों द्वारा किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा (**RGHS** or **Raj-Mediclim**) हेतु **RGHS** पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, जिसका अभाव में कार्मिक मेडिकल सुविधाओं का लाभ नहीं ले पायेंगे। अतएव दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त समस्त राज्य कर्मचारी आवश्यक रूप से विकल्प पत्र भरकर 31 जनवरी 2022 तक भुगतान शाखा में प्रस्तुत कर देवे, ताकि समयबद्ध कटौती की जा सके। उक्त विकल्प पत्र के समयबद्ध जमा नहीं कराये जाने पर कार्मिक स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

21/01/22
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट)
2. नोटिस बोर्ड।
3. रक्षित पत्रावली।

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं
आहरण वितरण अधिकारी